रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1981/ज्येष्ठ 22, 1903
No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 1981/JYAISTHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 1981

का०आ० 434(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलवान सिंह को राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय पर तारीख 28 अक्तूबर, 1976 के अपने आदेश से उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन 29 अक्तूबर, 1976 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया था।

श्री बलवान सिंह ने तारीख 15 नवम्बर, 1979 को राष्ट्रपति के समक्ष एक अर्जी फाइल की। यह अर्जी राष्ट्रपति के पूर्वोक्त आदेश के अधीन उसके (अर्जीदार) द्वारा उपगत निरर्हता की अवधि के असमाप्त भाग को हटाने या कम करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन होनी तात्पर्यित है।

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (देखिए उपाबन्ध) कि श्री बलवान सिंह की उक्त अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी उपबंध के अधीन चलाने योग्य नहीं है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

अत: मैं नीलम संजीव रेड्डी भारत का राष्ट्रपति इसके द्वारा उक्त अर्जी को अस्वीकार करता हूं।

राष्ट्रपति भवन, नीलम संजीव रेड्डि, भारत का राष्ट्रपति
नई दिल्ली, 8 जून 1981

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलवान सिंह की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन निरर्हता हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति की अर्जी के मामले में,

राय

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलवान सिंह को राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय पर तारीख 29 अक्तूबर, 1976 के अपने आदेश से उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन 28 अक्तूबर, 1976 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया था।

नवम्बर 1979 में श्री बलवान सिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष एक अर्जी फाइल की। यह अर्जी राष्ट्रपति के पूर्वोक्त आदेश के अधीन उसके द्वारा उपगत निरर्हता की अवधि के असमाप्त भाग को हटाने या कम करने के

लिए उक्त अधिनियम, की धारा 8क के अधीन तात्पर्यित थी। वह अर्जी राष्ट्रपति द्वारा आयोग को उसकी राय लेने के लिए निर्देशित की गई थी।

आयोग को वर्तमान अर्जी की ग्राह्यता या उसके चलाए जा सकने के बारे में संदेह प्रतीत होता था क्योंकि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन नहीं आती। उक्त प्रश्न पर अपना समाधान करने के लिए आयोग ने तारीख 17 मई, 1980 के अपने पत्र में अर्जीदार से विधि का वह उपबन्ध स्पष्ट करने के लिए कहा जिसके अधीन उसने वर्तमान अर्जी राष्ट्रपति को दी थी। उससे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह विधिक आधार पर आधारित कारण देकर यह स्पष्ट करे कि क्या राष्ट्रपति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विद्यमान उपबंधों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन अपने द्वारा दिए गए स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन या पुनर्विचार करने का अधिकार है। इस तथ्य के होते हुए भी कि उसे मामले की बाबत 22 जुलाई, 1980 और 25 अगस्त, 1980 को स्मरण दिलाया गया था, अर्जीदार ने मामले की बाबत न तो कोई उत्तर दिया और न ही उसने आयोग की उक्त सूचना की पावती ही स्वीकार की।

मेरी राय में वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी उपबन्ध के अधीन नहीं आती। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 6 अगस्त, 1975 से यथासंशोधित धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन यह विनिश्चय करना होता है कि क्या किसी व्यक्ति को जिसे किसी निर्वाचन अर्जी में किसी उच्च न्यायालय द्वारा या किसी निर्वाचन अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो कितनी अवधि के लिए। ऐसा विनिश्चय करते समय उन्हें निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्यवाही करनी होगी जो उनके द्वारा उक्त धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन अभिप्राप्त की जाएगी। उक्त धारा 8क (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया गया विनिश्चय अन्तिम है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रपति के उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील की जा सके या उसका किसी प्राधिकारी द्वारा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति भी हैं, पुनर्विलोकन किया जा सके। यद्यपि धारा 8क (2) के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे व्यक्ति की जिसने ऊपर उल्लिखित निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथा विद्यमान धारा 8क के अधीन निरर्हता उपगत की है, निरर्हता को राष्ट्रपति हटा सकते हैं या उसकी अवधि को कम कर सकते हैं तथापि ऐसे व्यक्ति के मामले में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जो 1975 के उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा 8क(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निरर्हित किया गया है। निस्संदेह धारा 8क(2) के उपबन्ध धारा 8क(1) के अधीन निरर्हता के मामले को लागू नहीं होते हैं।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए श्री बलवान सिंह की वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन चलने योग्य नहीं है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश मेरी उक्त आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को लौटाया जाता है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1981

एस० एल० शकधर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(17)/81-वि०II]

ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 1981

S.O. 434(E).—The following order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas Shri Balwan Singh, a former Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly was disqualified by the President by his order dated the 28th October, 1976, under section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951, for a period of 5 years from the 28th October, 1976, on the opinion tendered by the Election Commission under section 8A(3) of the said Act;

And whereas Shri Balwan Singh filed a petition dated the 15th November, 1979, before the President purporting to be under section 8A of the said Act for the removal or reduction of the unexpired portion of the period of disqualification incurred by him under the aforesaid order of the President.

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that the said petition of Shri Balwan Singh is not maintainable under any provision of the Representation of the People Act, 1951, and that it is. therefore, liable to be rejected ;

Now therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, do hereby reject the said petition.

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India.

Rashtrapati Bhawan,
New Delhi,
The 8th June, 1981.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re : Petition of Shri Balwan Singh, a former Member of Uttar Pradesh Legislative Assembly, to the President for removal of disqualification under section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

OPINION

Shri Balwan Singh, a former Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, was disqualified by the President by his order dated the 28th October, 1976, under section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 for a period of 5 years from the 28th October, 1976, on the opinion tendered by the Commission under section 8A(3) of the said Act.

In November, 1979, Shri Balwan Singh filed a petition before the President purporting to be under section 8A of the said Act for the removal or reduction of the unexpired portion of the period of disqualification incurred by him under the aforesaid order of the President. That petition was referred by the President to the Commission for its opinion.

The Commission felt doubtful about the admissibility or entertainment of the present petition as it did not seem to be covered under any express provision of the Representation of the People Act, 1951. In order to satisfy itself on the above point, the Commission asked the petitioner in its letter dated the 17th May, 1980, to explain the provision of law under which he had made the present petition to the President. He was also called upon to explain with reasons based on legal grounds whether the President had the power under the existing provisions of the Representation of the People Act, 1951 to review or reconsider his own decision given by him under section 8-A(1) of the said Act. Despite the fact that he was reminded in the matter on the 22nd July, 1980 and 25th August, 1980 the petitioner did not send any reply in the matter, nor did he choose to even acknowledge the said communication of the Commission.

In my opinion, the present petition is not covered under any provisions of the Representation of the People Act, 1951. Under section 8A, as amended by the Election Laws (Amendment) Act, 1975 w.e.f. 6th August, 1975, the President is to decide under sub-section (1) of that section whether a person found guilty of corrupt practice at an election by a High Court in an election petition or by the Supreme Court in an election appeal should be disqualified and, if so, for what period. While so deciding, he has to act according to the opinion of the Election Commission to be obtained by him sub-section (3) of the said section 8A. The decision given by under the President under the said section

8A(1) is final and there is no provision in the said Act whereunder the above decision of the President may be appealed against or reviewed by any authority including the President. Though under section 8A(2), a provision has been made for removal or reduction by the President of the period of disqualification of a persons incurred under section 8A, as it stood immediately before the commencement of the above referred Election Laws (Amendment) Act, 1975, no such provision has been made in the case of a person disqualified by the President under said section 8A(1) after the commencement of the above referred amendment Act of 1975. Undoubtedly, the provisions of section 8A(2) do not apply to a case of disqualification under section 8A(1).

In view of the above legal position, the present petition of Shri Balwan Singh is not maintainable under any provisions of Representation of the People Act, 1951, and is, therefore, liable to be rejected. The reference received from the President is returned to him with my opinion to the above effect

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India.

New Delhi, Dated April 6, 1981.

[No. F. 7(17)/81-Leg. II]

A. K. SRINIVASAMURTHY, Jt. Secy. and Legislative Counsel

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981